



प्रेस विज्ञप्ति

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जे० एस० पाण्डेय के द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 में अल्पसंख्यक समुदाय यथा— मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी के स्वरोजगार के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31.01.2020 तक निर्धारित थी। लाभुकों का चयन में पारदर्शिता हेतु उप विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष जिला चयन समिति, बक्सर के द्वारा तिथि एवं समय का निर्धारण किया गया है। साक्षात्कार में आवेदकों को सभी आवश्यक मूल प्रमाण-पत्र यथा— आवेदन प्राप्ति रसीद, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित प्रमाण-पत्र, सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से तकनीकी या व्यवसायिक शिक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र, विकलांग/परित्यक्ता/विधवा संबंधी प्रमाण-पत्र लाने का निदेश दिया गया है। सभी ऋण आवेदक को साक्षात्कार में अपने निर्धारित तिथि एवं समय पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, बक्सर में उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित किये गये तिथि में उपस्थित नहीं होने पर उनका दावा रद्द समझा जायेगा।

आवेदन संख्या के आधार पर साक्षात्कार की तिथि एवं समय

क्र०सं०	साक्षात्कार की तिथि	पूर्वाह्न 10.30 से 1.00 बजे तक	अपराह्न 2.00 से 4.30 बजे तक
1	11.12.2020	BXR0001 से BXR0040	BXR0041 से BXR0080
2	12.12.2020	BXR0081 से BXR0120	BXR0121 से BXR0160
3	14.12.2020	BXR0161 से BXR0180	BXR0181 से BXR0200


07/12/20
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,
बक्सर।

07/12/20